# कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ (पटना)।
## (आपूर्ति शाखा)
## (प्रेस–विज्ञप्ति संख्या–01/2021)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के विभागीय "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2016" के अन्तर्गत बाढ़ अनुमण्डल के विभिन्न प्रखण्डों में उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन सं0–01/2017 प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किया गय था। जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में समीक्षोपरान्त **बाढ़ अनुमण्डल** अन्तर्गत संबंधित पंचायतों में चिन्हित व्यापार स्थल हेतु कुल **03** रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्ति के लिए योग्य आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

01 **आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फार्मः**– पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन–पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची–01 तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित अनुसूची–02 में अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के कार्यालय में **दिनांक 21.05.2021** संध्या 05:00 बजे तक कार्यालय अवधि में निर्धारित कॉउंटर पर बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा। जिस रिक्ति के विरूद्व आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए। आवेदन प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

02 **आयु/शैक्षणिक योग्यताः–**

(क) न्युनतम आयु– 18 वर्ष ।
(ख) न्युनतम शैक्षणिक योग्यता– मैट्रिक पास।
(ग) कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
(घ) कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जायेगी।
(ड) समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
(च) समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगा।

03 **उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएँ (आरक्षण के प्रावधानान्तर्गत) :–**

(क) स्वयं सहायता समूह,
(ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ,
(ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ,
(घ) शिक्षित बेरोजार,
(ड.) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (नगर क्षेत्र) के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

* स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहायोग समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गो की महिलाएँ तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।

04 **उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँः–**

(क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
(ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।
(ग) आटा–चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
(घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
(ड.) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्वदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।
(च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

05 **चयन प्रक्रियाः**– सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक द्वारा कराया जायेगा। जाँचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगें। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त अनुशंसित आवेदको को मो0 1000/–(एक हजार) रूपये का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

06 **आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथिः–** विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी कागजातों के साथ **दिनांक–21.05.2021** की संध्याः–05:00 बजे तक अनुमण्डल कार्यालय, बाढ़ (पटना) के निर्धारित कॉउंटर पर बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

07 **पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियों का विवरण निम्नवत हैः–**

| क्र0सं0 | प्रखण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम | रिक्ति का आरक्षण कोटि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | बाढ़ | नदावाँ | डुमरिया | अनुसूचित जाति |
| 2 | पण्डारक | पश्चिमी पण्डारक | पण्डारक | अ0 पि0 व0 (क्षै0 आ0 म0) |
| 3 | घोसवरी | घोसवरी | धनकडोभ | अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) |

नोटः (1)–बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016, के अधीन उचित मूल्य की दुकान के लिए विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में वर्णित विन्दुओं से संबंधित साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बाढ़ ।

PR. No. 000390 (District) 2021-22

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु Toll Free No.: 104 पर संपर्क कर सकते हैं।